रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 517] नई दिल्ली, मंगलवार, सितंबर 9, 1997 भाद्र 18, 1919
No. 517] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 1997/BHADRA 18, 1919

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

लाइसेंसिंग ग्रुप (बुनियादी सेवा एकक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1997

का.आ. 646(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम में कहा गया है के भाग-III की धारा 19 ख के उपबंधों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत लाइसेंस धारक (को)/निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालक (को) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त लाइसेंस धारक कहा गया है) को अपने लाइसेंस के चालू रहने के दौरान उक्त लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं को उक्त लाइसेंसधारक (को) द्वारा टेलीफोन सेवा प्रदान करने के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण अथवा प्रबंधन को सौंपी गई अथवा अधीन किसी संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित के लिए संबंधित लाइसेंस शुदा सेवा क्षेत्र में स्थानीय प्राधिकारी से वे-लीव मांगने की शक्तियां प्रदत्त करती है, अर्थात :—

1(क) संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण अथवा प्रबंधन को सौंपी गई अथवा अधीन संपत्ति के अंदर, ऊपर, साथ में अथवा आर-पार टेलीफोन लाइनें तथा इसमें अथवा इस पर खंभा लगाने अथवा रखने के लिए,

(ख) उक्त लाइसेंसधारक (i) द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित टेलीफोन लाइनों अथवा खंभों की जांच, मरम्मत करने, बदलने अथवा हटाने के लिए जिस संपत्ति के अंदर, ऊपर, साथ में, आर-पार, में अथवा पर लाइन अथवा खंभा लगाया गया है, वहां प्रवेश करने के लिए।

परन्तु, उक्त लाइसेंस धारक हमेशा उक्त अधिनियम के उपबंधों अथवा उस समय प्रभावी किसी अन्य कानून का पालन करेगा तथा स्थानीय प्राधिकारी को अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना उक्त प्राधिकारी के नियंत्रण अथवा प्रबंधन में सौंपी गई अथवा अधीन उक्त संपत्ति के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

(2) इस अधिसूचना के अधीन प्रदत्त शक्तियों द्वारा दूरसंचार विभाग के टेलीफोन नेटवर्क की दूरसंचार स्थापनाओं सहित सभी भूमिगत सेवाओं को किसी भी प्रकार की क्षति, बाधा, रुकावट, व्यवधान अथवा उनकी सेवाएं ठप्प होने से आत्यांतिक संरक्षा अथवा सुरक्षा के अध्यधीन होंगी। अथवा

(3) इस अधिसूचना के अधीन प्रदत्त शक्तियां उस संपत्ति पर यथा लागू उक्त अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होंगे, जिनके संबंध में स्थानीय प्राधिकारी उक्त लाइसेंसधारक को अनुमति देंगे तथा ऐसी उक्त शर्तों से शासित होगा जिन्हें उक्त प्राधिकारी लागू करना ठीक समझे, जैसे कि इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के परिणामस्वरूप प्राधिकारी को किसी प्रकार के व्यय का भुगतान करना आवश्यक हो जाए, अथवा उक्त अधिकारों के अंतर्गत उक्त लाइसेंस धारक द्वारा किए गए किसी कार्य के संबंध में अथवा किसी अन्य वस्तु के संबंध में अथवा किसी कार्य के निष्पादन के तरीके अथवा समय के संबंध में लागू शर्तों का पालन किया जाए।

परन्तु यह और भी कि जब उक्त उपबंधों के अधीन उक्त लाइसेंसधारक द्वारा, किसी स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति के अंतर्गत, ऊपर, के साथ में आर-पार में अथवा पर अथवा उसके नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन कोई टेलीफोन लाइन या खम्भा लगाया गया हो और ऐसा स्थानीय प्राधिकरण उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनके अधीन टेलीफोन लाइन अथवा खंभे को इस प्रकार लगाया था, इसे हटाना अथवा इसका स्थान बदलना उचित समझता है, तो स्थानीय प्राधिकरण उक्त लाइसेंसधारक को इसे हटाने अथवा इसका स्थान परिवर्तन करने, जैसा भी मामला हो, के लिए आदेश दे सकता है।

(4) उक्त लाइसेंसधारक द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन प्रदान की गई शक्तियों, लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के संबंध में विधिवत् रूप से निधारित सुसंगत क्षतिपूर्ति की अदायगी और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, उक्त लाइसेंस धारक द्वारा भारत के राष्ट्रपति के साथ उक्त लाइसेंस करार तथा इन्टरकनेक्ट करार पर हस्ताक्षर की तारीख से केवल उसी प्रचालन क्षेत्र विशेष/सेवा क्षेत्र जिसके लिए उसे लाइसेंस प्रदान किया गया है, पर ही लागू होंगी।

(5) उक्त लाइसेंसधारक द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन प्रदत्त शक्तियों की प्रवर्तनीयता उस सीमा तक निर्बन्धित होगी जिस प्रयोजन के लिए उसे लाइसेंस प्रदान किया गया है और यह ऐसी अन्य शर्तों तथा निर्बधनों के अधीन रहते हुए होगा जो केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं,।

(6) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

स्पष्टीकरण :

*इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "सेवा" से अभिप्रेत है केवल निर्धारित समय में उक्त लाइसेंस धारक के पी एस टी एन (पब्लिक स्विचूड टेलीफोन नेटवर्क) पर आई एस डी एन (एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क) की सुविधाओं सहित वॉयस अथवा नॉन-वॉयस संदेशों के पारेषण और इसमें स्टोर तथा फोरफार्ड/स्टोर तथा रिट्रीव टाइप के संदेशों का पारेषण, तार अथवा बेतार माध्यम पर वॉयस अथवा नॉन-वायस संदेशों के प्रसारण पैकेटस्विचूड डॉटा, टैलेक्स अथवा तार सेवा, सचल वायस और नॉन-वॉयस सेवाएं, वायस मेल, ऑडियोटेक्सट और ई-मेल जैसी मूल्यवर्णित सेवाएं शामिल नहीं है।

[सं. 10-2/95-बी एस-II-खण्ड-IV]

जे. एम. मिश्र, उप महानिदेशक (बीएस)

(संयुक्त सचिव की पंक्ति में)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

Licensing Group (Basic Service Cell)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 1997

S.O.646(E).—In exercise of the provisions of section 19B, of Part-III of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) (hereinafter referred to as the said Act, the Central Government, hereby, confers the powers upon duly authorised licensee(s)/private basic telephone service operator(s) under section 4 of the said Act, (hereinafter referred to as the said licensee) to seek way-leave from a local authority in the respective licensed service area for the following in respect of a property vested in or under the control or management of that local authority, in connection with providing the telephone service by the said licensee(s) to its subscribers in the said licensed service area during the currency of its licence, namely :—

1(a) to place and maintain telephone lines under, over, along or across and posts in or upon property vested in or under the control or management of concerned local authority;

(b) to enter on that property under, over, along, across, in or upon which the line or post has been placed, in order to examine, repair, alter or remove telephone lines or posts established or being maintained by the said licensee(s).

Provided that the said licensee shall always comply with the provisions of the said Act or any other law time being in force and shall not exercise the powers connferred under this notification in respect of the said property vested in or under the control or management of the local authority, without the express permission of that authority.

(2) The powers conferred under this notification shall be subject to absolute protection or safety of all the underground services including telecom installations of Department of Telecommunication's telephone network from any kind of damage, interference, interruption, disruption or failure of any services thereof.

(3) The powers conferred under this notification, shall be governed by the provisions of the said Act, as applicable to that property regarding which the local authority may give permission to the said licensee and subject to such reasonable conditions as such authority thinks fit to impose, as to the payment of any expenses to which the authority will necessarily be put in consequence of the exercise of the powers so conferred, or as to the time or mode of execution of any work, or as to any other thing connected with or relating to any work undertaken by the said licensee under the said powers.

Provided further that when, under the said provisions, a telephone line or post has been placed by the said licensee under, over, along, across, in or upon the property vested in or under the control or management of a local authority, and such local authority, having regard to circumstances under which the telephone line or post was so placed, considers it expedient that it should be removed or that its position should be altered, the local authority may require the said licensee to remove it or alter its position, as the case may be.

(4) The powers conferred under this notification shall be enforceable by the said licensee, only in the particular operational area/service area licensed to him, from the date on which the said licensee signs a licence agreement & interconnect agreement with the President of India after payment of relevant consideration duly fixed and completion of other necessary formalities in respect of the licensed service area.

(5) The enforceability of the powers conferred under this notification, by the said licensee, shall be restricted to the extent of his licence for the purpose for which it is granted and subject to any other conditions and restrictions as the Central Government may determine from time to time.

(6) This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Explanation:

* For the purpose of this notification, "service" means transmission of voice or non-voice messages inclusive of ISDN (Integrated Service Digital Network) facilities over the said licensee's PSTN (Public Switched Telephone Network) in real time only and does not include, the store and forward/store and retrieve type of message transmission, broadcasting of voice or non-voice messages over wire or wireless media, packet switched data, telex or telegraph service, mobile voice and non-voice services, value added services such as voice mail, audio text and E-Mail.

[No.:10-2/95-BS-II/Vol-IV]

J.M. MISRA Dy. Director General (BS)

(in the rank of Joint Secretary)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2002/माघ 18, 1923
No. 139] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2002/MAGHA 18, 1923

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

लाइसेंसिंग ग्रुप (मूल्यवर्द्धित सेवा सैल) (वीएएस सैल)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2002

का.आ. 171(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 3) की धारा 19ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), लाइसेंसिंग ग्रुप (बुनियादी सेवा कक्ष) की अधिसूचना सं. का.आ. 646(अ) तारीख 9 सितम्बर, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) प्रथम पैराग्राफ में "प्राइवेट बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालक(कों)" शब्दों तथा कोष्ठक के स्थान पर "प्राइवेट बुनियादी अथवा सेल्यूलर टेलीफोन सेवा प्रचालक(कों)" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "सेवा" से उक्त अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क पर आईएसडीएन (एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क) की सुविधाओं सहित वॉयस अथवा नॉन वॉयस संदेशों के प्रेषण अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत तार अथवा बेतार माध्यम पर वॉयस अथवा नॉन वॉयस का प्रसारण नहीं है।"

[सं. 842-47/98-वीएएस (भाग)]

जे. आर. गुप्ता, उप महानिदेशक/संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

Licensing Group (Value Added Services Cell)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2002

S.O. 171(E).—In exercise of the powers conferred by section 19B of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Communications (Department of Telecommunications), Licensing Group (Basic Service Cell) number S.O. 646(E) dated 9th September, 1997, namely :—

In the said notification—

(a) in the first paragraph, for the words and brackets, "private basic telephone service operator(s)", the words and brackets "private basic or cellular telephone service operator(s)" shall be substituted;

(b) for the Explanation, the following explanation shall be substituted, namely :—

"**Explanation :** For the purpose of this notification, "service" means transmission of voice or non-voice messages inclusive of ISDN (Integrated Service Digital Network) facilities over the said licensee's Network and does not include, broadcasting of voice or non-voice message over wire or wireless media."

[No. 842-47/98-VAS (Part)]

J. R. GUPTA, Dy. Director General /Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.